

A-1.6.1

Form-1
(For Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District collector Pithoragarh

No.....

Date- 29/11/2014

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF) Government of India letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **5.409** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Gram Vikash Department, Govt. of UK for the construction of Motor Road From Chobatti to Baram Bachkuri in Pithoragarh district falls within jurisdiction of **Bram Bhachkuri** villages in **Didihat** Tehsil.

It is further certified that

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.409** hectares of forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s) Gram Sabha(s) sub-division level committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure-~~30.1~~ to annexure-~~30.1~~
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

Dated. 29/11/2014

District collector
Pithoragarh

Engineer
R.E.S. P.M.G.S.V.
Didihat

अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

A-1.6.2

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee Constituted under Schdule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act. (FRA), 2006.

A meeting of the District level committee of Pithoragarh District, Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. H.C. Semwal, I.A.S., District Magistrate Pithoragarh on Date 29/11/2014 at Pithoragarh in which the application claiming right in mail area measuring 5.409 Hect. for the construction of Chaubati to Barambachkudi Motor Road of Forest Level Committee of Didihat Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the document and detail discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- Pithoragarh

Dated:- 29/11/2014

(H.C. Semwal)
District Magistrate,
District Level Committee
District Pithoragarh

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जिला स्तरीय समिति- पिथौरागढ़

उपखण्ड डीडिहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग, (2.754 हे० नाप भूमि 5.409 हे० सिविल सोयम वन भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 8.163 हे० वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील-डीडीहाट) की दिनांक 28/10/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एच०सी० सेमवाल जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री एच०सी० सेमवाल, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- डा० इन्द्रपाल सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्री श्याम लाल आर्या, जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
- 4- श्री सती सपना सतपाल सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र चिटगालगोव सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 8.163 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(H.C. Samwal)
जिलाधिकारी
अध्यक्ष
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य
पिथौरागढ़

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

सपना
सदस्य जिला पंचायत
क्षेत्र :- चिटगालगोव
सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र
चिटगालगोव

श्रीमती जयन्ती देवी
ब्लाक प्रमुख
वि०ख० डीडिहाट

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-IX में प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी०) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी डीडीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- डीडीहाट

उपखण्ड बेसिंग परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग, 2.754 हे० नाप भूमि, 3.492 हे० सिविल सोयम (वन स्वरूप) वन भूमि, 1.917 सिविल सोयम (वन रहित), शून्य हे० वन पंचायत भूमि शून्य हे० आरक्षित वन अर्थात् कुल 3.492 हे० वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- डीडीहाट) की दिनांक 25.10.11 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ...उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ...उप जिलाधिकारी ...अध्यक्ष
- 2- श्री ...उप प्रभागीय वनाधिकारी ...सदस्य
- 3- श्री ...सहायक समाज कल्याण अधिकारी ...सदस्य/सचिव
- 4- श्री ...बी०डी०सी० क्षेत्र ...सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.492 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की सकती है।

सदस्य
क्षेत्र पंचायत तिवाडी
वि० अ० डीडीहाट (पिथौरागढ़)

उप जिलाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

उप प्रभागीय वनाधिकारी

डीडीहाट
सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

बी०डी०सी० क्षेत्र

सदस्य

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-IX में प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी०) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- ~~बरमबचकुड़ी~~

तहसील-डीडीहाट

जिला-पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (2.754 हे० नाप भूमि, 5.409 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि) अर्थात् कुल 8.163 हे० वन भूमि का ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई० डीडीहाट (पिथौरागढ़) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~बरमबचकुड़ी~~ द्वारा दिनांक ~~26/12/14~~ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~बरमबचकुड़ी~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नहीं है।

मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि पर मलबा डालने में ग्रामवासीयों को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चर्च आदि स्थित नहीं है, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नहीं लायी गई है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

ग्राम पंचायत सरपंच

बड़े (चौबाटी)

डीडीहाट (पिथौरागढ़)

ह० / -

वन पंचायत सरपंच

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

ग्राम पंचायत- बरम बचकुड़ी
वि०ब०- डीडीहाट (पिथौरागढ़)

ग्राम प्रधान

अधिसारी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

ह० / -

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

22AA 797284

अनापील प्रमाण-पत्र
उद्यानमैत्री ग्राम लड़क फौजता के गलतीव स्वीकृत नौकादी-
वरमवचकुटी भोय मारी में हम स्त्री वृषको नी नापत्रमि
पडली है, मारी के काटने से जो भलका मिलेगा
उसे हमारी नापत्रमि में डालने में हमें किली की
प्रकार की आपत्ति नहीं है, भलका डालने हेतु
आपनी नापत्रमि निशुल्क देने को तैयार है।

नापत्र-वोट (9) कुन्दन राम कुन्दन राम
1) मदीरा सिंह (10) कुन्दन राम कुन्दन राम
2) रवीमा देउपा कुन्दन राम कुन्दन राम
3) कमला देउपा कुन्दन राम कुन्दन राम
4) भागीरथी देउपा कुन्दन राम कुन्दन राम
5) पूनम देउपा कुन्दन राम कुन्दन राम
6) नीर देउपा कुन्दन राम कुन्दन राम
(7) मेधा कुन्दन राम कुन्दन राम
(8) दीपा देउपा कुन्दन राम कुन्दन राम

७. गोविन्दसिंह

10 नीरज सिंह

11 तारा देवी

12 यशोदा देवी

Sub Treasury Office
DIDIHAT

9 JUN 2014

13. भूपाल सिंह फवाडी-

14- जीवन्ती देवी

15 बबीता देवी

16- नव्योति लाल

17- कमला देवी

18- रघुकुमार राम

19- छेरी लाल

20 उमा देवी

21 जयदेवी

22 जयदेवी

23 हरीभा लाल

24- 143 रामा देवी

25- मोहन सिंह

26- गोपाल सिंह

रामा देवी

रामा देवी

मान सिंह

Samir Singh

K.S. Bora